

-377-

रखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

२३२० (विभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-49/2017-18/

/मत्स्य, राँची, दिनांक

11.11.2020

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

\*अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार\*।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के अंतर्गत फीड बेस्ड फिशरीज की योजना का मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन में कुल मो० 126.00 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख) रु० मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं० 25 रा० (विभाग) दिनांक 21.08.2019 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं० 1188 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन के तहत "फीड बेस्ड फिशरीज" की योजना की कुल मो० 126.00 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख) रु० मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अथवा 16/- रु० प्रति कि०ग्रा० अधिकतम अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार उपकरण एवं मशीनों का क्रय किया जायेगा।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उल्लिखित कार्य के लिए मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन के तहत स्वीकृत राशि कुल मो० 126.00 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख) रु० मात्र का व्यय निम्न बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा जिसके लिए समुचित बजट उपबंध एवं योजना उद्ध्यय प्राप्त है :-

क्रमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण 53 S 240500101560317	10.00
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत	37.00

	शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री <b>53 S 240500101560323</b>	
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-37-विद्युत व्यय <b>53 S 240500101560337</b>	15.00
4	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय <b>53 S 240500101560759</b>	4.00
उप योग :		<b>66.00</b>
5	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री <b>53 S 240500789560323</b>	15.00
उप योग :		<b>15.00</b>
6	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण <b>53 S 240500796560317</b>	5.00
7	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री <b>53 S 240500796560323</b>	38.00
8	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय <b>53 S 240500796560759</b>	2.00
उप योग :		<b>45.00</b>
कुल योग :		<b>126.00</b>

(एक करोड़ छब्बीस लाख) ₹0 मात्र

3. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक - 1 एवं 6 में मशीन उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोकारो एवं धनबाद तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़, कोडरमा एवं सरायकेला-खरसावाँ को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा फीड मिल के उपकरणों का क्रय GeM के माध्यम से किया जायेगा। GeM में उपलब्ध नहीं रहने पर योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त तालिका के क्रमांक - 4 एवं 8 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही तालिका के क्रमांक - 3 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से रामगढ़, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।

4. विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अथवा 16/- ₹0 प्रति कि०ग्रा० अधिकतम अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रूप में ही दिया जाएगा।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

5. उपर्युक्त कंडिका 4 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर भी अधिकतम 16/-रु० प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 16/-रु० प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 11200/- (ग्यारह हजार दो सौ) रु० की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। इसीप्रकार रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मछली उत्पादन हेतु एक लाभुक को अधिकतम कुल 5000 किलोग्राम 2mm तक अथवा इससे बड़े साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 16/-रु० प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। लाभुक द्वारा 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड का वास्तविक रूप में क्रय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 16/-रु० प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

8. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

9. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

11. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० - सी0एस0 - 2/ आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

13. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो० 150.00 लाख रु० मात्र में मो० 66.798 लाख रु० मात्र का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

14. वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्न शर्तों के साथ प्राप्त है -

- व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।
- किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।
- विषयगत योजनान्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों/शर्तों का सुदृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए किया जाय।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)  
सरकार के सचिव

२३२१० (विभाग)  
ज्ञापांक /मत्स्य, राँची, दिनांक 11.11.2020

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

२३२१० (विभाग)  
ज्ञापांक /मत्स्य, राँची, दिनांक 11.11.2020

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

२३२१० (विभाग)  
ज्ञापांक /मत्स्य, राँची, दिनांक 11.11.2020

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड, राँची/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2020-21 में फीड बेस्ड फिशरीज योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

375

1	2	2405-मछली पालन उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज																		
		101-अन्तर्देशीय मछली पालन								796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग						789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		कुल भौतिक लक्ष्य (टन में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	
		03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री				03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	07-अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	03-प्रशासनिक व्यय-37- विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री				03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	07-अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री					
		2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)				2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)				झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹0)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	राँची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	3.68	12.00	1.92	0.00	0.00	6.00	0.96	41.96	6.56		
2	खूंटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.64	0.00	0.00	2.50	0.40	6.90	1.04		
3	गुमला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.11	8.00	1.28	0.00	0.00	2.50	0.40	11.60	1.79		
4	सिमडेगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.34	12.00	1.92	0.00	0.00	2.50	0.40	17.00	2.66		
5	लोहरदगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.67	10.00	1.60	0.00	0.00	2.50	0.40	17.10	2.67		
6	लातेहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.28	0.00	0.00	2.50	0.40	10.90	1.68		
7	पठ सिंहभूम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.90	20.00	3.20	0.00	0.00	2.50	0.40	28.50	4.50		
8	पूर्वी सिंहभूम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	0.00	0.00	2.50	0.40	12.90	2.00		
9	सरायकेला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	5.60	34.00	5.44	5.00	2.00	13.00	2.08	84.08	20.12		
10	दुमका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.78	16.00	2.56	0.00	0.00	2.50	0.40	23.80	3.74		
11	जामताड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.92	0.00	0.00	2.50	0.40	14.90	2.32		
12	साहेबगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	0.00	0.00	2.50	0.40	12.90	2.00		
13	पाकुड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.96	0.00	0.00	2.50	0.40	8.90	1.36		
14	हजारीबाग	20.00	3.20	12.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	37.80	5.92		
15	रामगढ़	13.00	2.08	8.00	1.28	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.48	24.48	7.84		
16	कोडरमा	30.00	4.80	11.00	1.76	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	1.72	53.47	14.28		
17	चतरा	5.00	0.80	4.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40	11.90	1.84		
18	बोकारो	22.00	3.52	11.25	1.80	2.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.64	37.25	18.96		
19	गिरिडीह	5.00	0.80	6.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40	13.90	2.16		
20	धनबाद	16.00	2.56	9.00	1.44	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.64	29.64	9.64		
21	गोड्डा	3.00	0.48	6.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40	11.90	1.84		
22	पलामू	0.00	0.00	4.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40	6.90	1.04		
23	गढ़वा	0.00	0.00	4.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40	6.90	1.04		
24	देवघर	30.00	4.80	12.00	1.92	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.28	50.00	9.00		
योग		144.00	23.04	87.25	13.96	10.00	4.00	15.00	75.50	12.08	162.00	25.92	5.00	2.00	93.75	15.00	575.58	126.00		

(एक करोड़ छब्बीस लाख ₹0 मात्र)

Page 5 of 5

(अनुबन्धक रिपोर्ट के साथ)  
सरकार की सचिवालय